भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2865
दिनांक 12 अगस्त, 2026 को उत्तर देने के लिए

बाल पीड़ितों के लिए पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत जिला-स्तरीय सहायक व्यक्तियों की नियुक्ति

2865. डा. सिकंदर कुमार:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार बाल पीड़ितों के लिए सहायक व्यक्तियों के पैनल के गठन हेतु स्थापित किए गए जिला-स्तरीय चयन समितियों की स्थापना की निगरानी हेतु एक विस्तृत राज्य-वार अनुपालन सूची तैयार की है;

(ख) यदि हाँ, तो सफलतापूर्वक अधिसूचित किए गए राज्यों की आंकड़ा-आधारित सूची और साथ ही उन राज्यों की सूची जो न्यायपालिका द्वारा निर्धारित समय-सीमा का पालन करने में विफल रह हैं, क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार सक्रिय अदालती कार्यवाही के दौरान पीड़ितों को दोबारा सदमे से बचाने के लिए इन सहायक व्यक्तियों की तैनाती और उनके कार्य निष्पादन की वास्तविक समय पर निगरानी करने हेतु एक एकीकृत निगरानी डैशबोर्ड आरंभ करने की मंशा रखती है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ग): सरकार बच्चों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और इस संबंध में विभिन्न पहल शुरु की हैं। बच्चों को लैंगिक शोषण और लैंगिक उत्पीड़न से बचाने के लिए, सरकार ने लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 अधिनियमित किया है। इस अधिनियम में 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बच्चा माना गया है। बच्चों पर यौन अपराध करने वालों के लिए अधिक

कठोर दंड देने, जिसमें मृत्युदंड शामिल है, के लिए वर्ष 2019 में इसअधिनियम में संशोधन किया गया था, ताकि अपराधियों में ऐसे अपराधों के प्रति डर पैदा किया जा सके और बच्चों के खिलाफ ऐसे अपराधों को रोका जा सके।

लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 और लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण नियम, 2020 में बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण प्रदान करने के लिए बाल-अनुकूल कानूनी व्यवस्था का प्रावधान है। पॉक्सो नियम, 2020 के नियम 4 में जहाँ कहीं बाल कल्याण समिति आवश्यक समझे बच्चे को जाँच और सुनवाई की पूरी प्रक्रिया के दौरान सहायता प्रदान करने के लिए एक सहायता व्यक्ति की नियुक्ति कर सकती है। यह सहायक, बाल अधिकारों या संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाला, जिला बाल संरक्षण इकाई (डीसीपीयू) द्वारा मान्यता प्राप्त कोई व्यक्ति या संगठन, अथवा डीसीपीयू द्वारा नियोजित कोई व्यक्ति होता है। सहायक व्यक्ति सहायता सेवाओं तक पहुँच सुगम बनाने, बच्चे और परिवार को मामले की प्रगति के बारे में सूचित करने, संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय करने, बच्चे के सर्वोत्तम हितों की रक्षा करने और पूरी कानूनी प्रक्रिया के दौरान गोपनीयता बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने " पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 39 के तहत सहायक व्यक्तियों के संबंध में मॉडल दिशानिर्देश" जारी किए हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, सहायक व्यक्तियों के पैनल में शामिल किए जाने के लिए एक चयन समिति के गठन का प्रावधान हैं, उनकी योग्यताएं, भूमिकाएं और जिम्मेदारियां निर्धारित हैं, तथा उनके चयन और तैनाती की प्रक्रिया निर्धारित हैं। सहायक व्यक्ति का प्राथमिक उद्देश्य कानूनी प्रक्रिया के दौरान बाल पीड़ितों को भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करना तथा उनका कल्याण, संरक्षण और उपयुक्त सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

हितधारकों के बीच निगरानी और समन्वय को सुगम बनाने के लिए, एनसीपीसीआर ने बाल यौन शोषण से संबंधित मामलों की तत्समय (रियल-टाइम) निगरानी के लिए पॉक्सो ट्रैकिंग पोर्टल तैयार किया गया है। यह पोर्टल पॉक्सो मामलों में सहायक व्यक्तियों की नियुक्ति से संबंधित जानकारी भी दर्ज करता है।

निर्धारित अवसंरचना के अनुसार सहायक व्यक्तियों की पहचान, मान्यता, पैनल में शामिल करने और तैनाती सहित पॉक्सो अधिनियम और नियम का कार्यान्वयन, संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य सरकार के प्रशासनों की जिम्मेदारी है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय नियमित रूप से एड़वाजरी जारी करता है, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समीक्षा बैठकें आयोजित करता है, क्षमता-निर्माण पहल करता है और पॉक्सो अधिनियम

तथा उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई करता है।
